बिहार विधान परिषद्

191वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 5

शुक्रवार, तिथि — 26 माघ, 1940 (श.) / 15 फरवरी, 2019 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 22

1.	शिक्षा विभाग	-	-	19
2.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	-	-	03
			कुल योग –	22

निधनोपरांत अनुग्रह राशि

*** 71. श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अनुग्रह राशि का प्रावधान संबंधित प्रभावित आश्रितों के फौरी राहत हेतु देय है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार सूबे के कार्यरत नियोजित शिक्षकों के निधनोपरांत दो-दो वर्षों तक उनके आश्रितों को अनुग्रह राशि क्यों नहीं उपलब्ध करा रही है ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*** 72. श्री रामचन्द्र भारती :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के खुसरूपुर प्रखंड स्थित सालिमपुर मध्य विद्यालय परिसर अतिक्रमणकारियों का जमावड़ा बना हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की दीवारों पर एक खास समुदाय के लोगों द्वारा गोबर ठोकने तथा विद्यालय परिसर में जानवर बांधने का कार्य किया जाता है, जिससे छात्रों के पठन-पाठन एवं खेल-कूद में काफी परेशानी होती है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मध्य विद्यालय को शीघ्रातीघ्र अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

समस्याओं का निराकरण

*** 73. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्लस टू उच्चतर विद्यालय, जमुनहा बाजार में लगभग 1150 छात्र-छात्रा पढ़ाई करते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में भवन निर्माण विभाग द्वारा भवन बनाया गया है एवं अबतक वह भवन विद्यालय प्रशासन को हस्तान्तरित नहीं किया गया है, जिससे बच्चों को पठन-पाठन कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु मात्र 06 शिक्षक पदस्थापित हैं, छात्र-शिक्षक अनुपात पूरा नहीं होने से पढ़ाई की व्यवस्था अत्यंत लचर है, विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अत्यंत अभाव होने से पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ता है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त समस्याओं का निराकरण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

छात्रों को छात्रवृत्ति

*** 74. श्री रामचनद्र पूर्वे :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में बिहार के 1967 विद्यार्थियों को सफलता मिली है;

(ख) क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को एन.सी.ई.आर.टी. के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर आवेदन करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि यह आवेदन 15 दिसम्बर 2018 तक जिले के डी.ई.ओ. और स्कूल प्राचार्य द्वारा किया जाना था, लेकिन डी.ई.ओ. एवं प्राचार्य की लापरवाही से 1022 छात्रों का ही आवेदन हो सका, जिस कारण 945 छात्रों को इस लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। यदि हां, तो इस तरह के दायित्व च्युत का क्या औचित्य है ?

दोषी पर कार्रवाई

*** 75. श्री राधाचरण साह :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 2 अक्टूबर 2016 को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में शिक्षा वित्त निगम के द्वारा लोन दिये जाने का प्रावधान है;

(ग) क्या यह सही है कि रोहतास, छपरा, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में भी बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसमें अहम भूमिका पदाधिकारियों की भी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी लोगों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*** 76. श्री केदार नाथ पाण्डेय :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार के उप सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक 959, दिनांक 08.06.18 द्वारा B.P.E. की योग्यता के आधार पर शारीरिक शिक्षक के पद पर नियोजन नहीं करने का निदेश दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समस्तीपुर ने मनमाने तरीके से पत्रांक 2908, दिनांक 27.11.2018 द्वारा खंड 'क' में वर्णित पत्र की गलत व्याख्या कर B.P.Ed. (एक वर्षीय) योग्यताधारी शारीरिक शिक्ष्कों के विरुद्ध नियोजन मुक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी के अर्हता के संबंध में में पूर्व में ही निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार ने अपने पत्रांक 1840, दिनांक 19.07.2017 द्वारा B.P.Ed. योग्यताधारी शारीरिक शिक्षकों की अर्हता को उनके नियोजन हेतु अनिवार्य बताया था;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पत्रांक 959, दिनांक 08.06.2018 की गलत व्याख्या करनेवाले और बेवजह शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

त्वरित कार्रवाई

*** 77. श्री रितलाल राय :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत श्रीमती गिरिजा कुँवर उच्च माध्यमिक विद्यालय, मसौढ़ी के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने पत्रांक-425, दिनांक 25.09.2018 द्वारा उसी विद्यालय के सहायक शिक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शावर्ण पर मसौढ़ी थाना काण्ड सं.-684/2018, दिनांक 21.09.2018 में नामजद अभियुक्त होने की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को समर्पित किया गया था, किन्तु अभी तक आरोपित शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी ;

(ख) क्या यह सही है कि आरोपित शिक्षक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना ने पत्रांक-1306, दिनांक01.10.2018 के द्वारा आरोपित शिक्षक श्री शावर्ण पर त्वरित कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी,पटना को निर्देश भी दिया जा चुका है, फिर भी कार्रवाई नगण्य है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अभी तक आरोपित शिक्षक पर कार्रवाई नहीं करने वाले पदाधिकारी एवं आरोपित शिक्षक पर त्वरित कार्रवाई कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

डिग्री महाविद्यालय का निर्माण

*** 78. श्री रजनीश कुमार :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा यात्रा के दौरान बेगूसराय के बलिया अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय के लिए मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध करा कर उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ग) क्या यह सही है कि भूमि उपलब्ध होने के बाद भी अभी तक उक्त डिग्री महाविद्यालय के निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में निराशा का भाव है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त डिग्री महाविद्यालय का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषी को दण्ड

*** 79. श्री रामलषण राम 'रमण' :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखण्ड के नया प्राथिमक विद्यालय वेला मुशहरी में कई वर्ष पूर्व से मध्य विद्यालय गरही के सहायक शिक्षक श्री पलक नारायण शर्मा प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी बाबूबरही ने पत्रांक – 372, दिनांक 30.10.2017 द्वारा वरीय शिक्षिका श्रीमती रेखा कुमारी को प्रभार सौंपने का आदेश श्री पलक नारायण शर्मा को दिया जो अबतक कार्यान्वित नहीं हो सका;

(ग) क्या यह सही है कि प्रभार न सौंपने के कारण दोनों विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कब तक इसे कार्यान्वित कराकर दोषी को दण्डित करना चाहती है ?

विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति

*** 80. श्री वीरेन्द्र नारायण यादव :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2011 के बाद एस.टी.ई.टी. परीक्षा नहीं हो सकी है, जिससे राज्य के लगभग 5700 उत्क्रमित माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों का नियोजन / नियुक्ति बाधित है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2011-12 में हिन्दी सहित अन्य विषयों के एस.टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं होने की वजह से उनके प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त होने के कगार पर है और उनके नियोजन की बजाय अतिथि शिक्षक को बहाल करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त स्थिति में एस.टी.ई.टी. उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र की वैधता का विस्तारीकरण करने, उत्तीर्ण छात्रों का नियोजन करने एवं एस.टी.ई.टी. परीक्षा लेकर विषयवार (गणित, विज्ञान आदि विषय) शिक्षकों की नियुक्ति / नियोजन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

दोषी पदाधिकारी के कार्यों पर रोक

*** 81. प्रो. नवल किशोर यादव :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय के विरुद्ध वहीं के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) शिक्षा विभाग, बेगूसराय ने कई बिन्दुवार वित्तीय गम्भीर आरोप साक्ष्य सहित लगाकर पत्रांक – 3612, दिनांक 18.12.18 के द्वारा वित्तीय कार्रवाई करने हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर को पत्र प्रेषित किया है;

(ख) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुंगेर ने इन सारी वित्तीय अनियमितताओं की बिन्दुवार जांच एवं कार्रवाई करने हेतु विभागीय प्रधान सचिव, निदेशक (मा.शि.), निदेशक (प्रा.शि.) एवं निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव, बिहार, पटना को पत्रांक-01, दिनांक 03.01.2019 द्वारा पत्र भेजा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उन प्रमाणित वित्तीय आरोपों की अविलम्ब जांच कर दोषी पदाधिकारी के कार्यों पर रोक लगाते हुए इनके ऊपर एफ.आई.आर. करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

शिक्षकों की पुन: बहाली

*** 82. श्री संजीव श्याम सिंह :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि रोहतास (सासाराम) जिले में 44 अतिथि शिक्षकों की सेवा लगभग 20 दिनों तक लेने के बाद सेवा मुक्त कर दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि इन अतिथि शिक्षकों की सेवा मुक्ति का कारण चयन की पूरी प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर नहीं होना एवं रिक्त पदों से ज्यादा अतिथि शिक्षकों का चयन हो जाना बताया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के कई जिलों में चयनित अतिथि शिक्षकों की सूची का प्रकाशन तय समय-सीमा (05.08.2018) के बाद भी हुआ है एवं विज्ञापन के समय रोहतास जिले में अतिथि शिक्षकों के कुल 465 पद विभिन्न विषयों में रिक्त बताये गए थे;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार रोहतास जिले के सेवा मुक्त कर दिये गए 44 शिक्षकों को पुन: बहाल करना चाहती है ?

लोक कलाओं से जोड़ने का प्रयास

*** 83. डा. दिलीप कुमार जायसवाल**, **श्री रामचन्द्र पूर्वे** एवं **श्री संजय प्रकाश :** क्या मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध राज्य है तथा हमारी लोक कलाएं अनमोल हैं, जो विलुप्ति के कगार पर हैं;

(ख) क्या यह सही है कि लोक कलाओं में गांव-देहात में कठघोड़वा नाच, पमरिया नाच, कठपुतली नाच, सलहेस नाच, शीत बसंत जैसे कई लोकनाट्य देखने को मिलते हैं, जो अभी नहीं हो रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने एवं गावों में रहने वाले युवाओं को इन लोक कलाओं से जोड़ने हेतु कौन-सा प्रयास कर रही है ?

वेतनादि का भुगतान

*** 84. प्रो. संजय कुमार सिंह :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 1984-85 के परियोजना विद्यालयों में पूर्व में अप्रशिक्षित महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति फाजिल एवं आचार्य योग्यताधारी पुरुष शिक्षकों को सरकार के द्वारा सेवा की मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2015-16 में विद्यालय सेवा बोर्ड द्वारा प्रेषित पैनल से गणित, जीवविज्ञान एवं संस्कृत विषय के सामान्य पुरुष शिक्षकों को अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में सेवा की मान्यता प्रदान की गई है और पुरुष अप्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन भी किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि दिनांक 05.02.2018 के द्वारा श्री महेश्वर प्रसाद सिंह एवं श्री कीर्ति कुमार को अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है एवं वेतनादि का भुगतान भी किया जा रहा है किन्तु शेष अन्य सामान्य पुरुष अप्रशिक्षित शिक्षकों को अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में सेवा मान्यता नहीं दी जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार शेष बचे हुए अप्रशिक्षित सामान्य पुरुष शिक्षकों की सेवा मान्यता प्रदान कर वेतनादि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

उच्च विद्यालय में +2 की पढ़ाई

*** 85. श्री संजय प्रकाश :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लगभग सभी डिग्री महाविद्यालय से +2 की शिक्षा को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक बहुत सारे उच्च विद्यालय में +2 की पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो सकी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो कब तक बचे हुए उच्च विद्यालयों को +2 से जोड़ा जा सकेगा ?

शिक्षक एवं रसोइयों पर कार्रवाई

*** 86. श्री सतीश कुमार :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बंजरीया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, घोड़मरवा के प्रधान शिक्षक की लापरवाही, गुटबाजी व रसोइयों की मनमानी के कारण 300 छात्र मिड डे मील से वंचित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि मिड डे मील प्रभारी की जांच के क्रम में मात्र 20 छात्र उपस्थित थे तथा पंजी गायब मिली एवं बिना आवेदन के प्रधान शिक्षक, वरीय शिक्षक अनुपस्थित थे;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के गैर जिम्मेवार प्रधान शिक्षक, वरीय शिक्षक एवं रसोइयों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर :

(क) अस्वीकारात्मक।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बंजरीया के पत्रांक-59, दिनांक 04.02.2019 के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत बंजरीया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, घोड़मरवा के प्रधान शिक्षक की लापरवाही, गुटबाजी व रसोईया की मनमानी नहीं पाई गई। प्रत्येक कार्य दिवस में सभी उपस्थित छात्रों को मध्याह्न भोजन परोसा जाता है;

(ख) अस्वीकारात्मक।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बंजरीया के पत्रांक-59, दिनांक 04.02.2019 के द्वारा प्रतिवेदित है कि मध्याह्न भोजन प्रभारी के दिनांक 06.08.18 के जांच के क्रम में प्रधान शिक्षक/वरीय शिक्षक पूर्व से आकस्मिक अवकाश में थे। निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन बनता पाया गया है। छात्रों की कम उपस्थिति पर प्रधानाध्यापक से पृच्छा करने पर बताया गया कि सावन मास के सोमवारी होने एवं स्थानीय बैकुंठधाम मेला होने के कारण अपेक्षाकृत छात्रों की उपस्थिति उक्त तिथि को कम थी।

इससे संबंधित तथ्य विद्यालय शिक्षा समिति, अध्यक्ष, श्री उमेश कुमार के निरीक्षण में भी पाया गया है। प्रधान शिक्षक एवं वरीय शिक्षक के अवकाश में रहने अलमीरा की चाभी नहीं होने के कारण जांच के क्रम में अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सका। पुन: दूसरे दिन प्रधान शिक्षक द्वारा अभिलेख का अवलोकन कराया गया, अवलोकनोपरान्त आरोप सत्य नहीं पाया गया है।

(ग) उपर्युक्त खण्डों के उत्तर अस्वीकरात्मक हैं। अत: प्रधान शिक्षक वरीय शिक्षक एवं रसोईयों पर कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

स्टेडियम कार्य कब तक पूर्ण

*** 87. श्री दिलीप कुमार चौधरी :** क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी 38 जिलों के अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर स्टेडियम निर्माण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक के बीच 69 करोड़ 57 लाख 66 हजार 993 रुपये की स्वीकृति कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा दी गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि अब तक 79 स्टेडियम का कार्य मात्र पूर्ण हुआ है और 123 स्टेडियम का निर्माण कार्य अपूर्ण (अधूरा) पड़ा हुआ है, जिससे उस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में रोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एवं खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु शेष बचे 123 स्टेडियम का अधूरा कार्य कब तक पूर्ण कराना चाहती है ?

भवन एवं परिसर का जीर्णोद्धार

*** 88. श्री दिलीप राय :** क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण पश्चिम चंपारण जिला के गांधी स्मारक संग्रहालय, भितिहरवा का भवन एवं परिसर प्रभावित हुआ जिसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद यहां 'चंपारण गैलरी' का आज तक निर्माण नहीं किया गया;

(ग) क्या यह सही है कि इस संग्रहालय एवं परिसर में कार्यालय अवधि में अनवरत 'गांधी धुन' की व्यवस्था करना उचित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपर्युक्त व्यवस्था शीघ्र किए जाने हेतु आवश्यक निदेश देना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

पी.एच.डी. अवार्ड का प्रावधान

*** 89. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** एवं **श्री संजय पासवान :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि यू.जी.सी. के गाईड लाईन के अनुसार कम से कम 3 वर्ष एवं अधिकतम 6 वर्षों के अंदर Ph.D का शोध पत्र पूर्ण करने का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय, बोध गया के शिक्षा शंकाय के सत्र 12-13 में 46 शोधार्थियों का साक्षात्कार लेकर एवं वर्ग कार्य नामांकन करते हुए 31 जनवरी, 2017 तक शोध पत्र का प्रारूप समर्पित किया जा चुका है;

(ग) क्या यह सही है कि तत्कालीन कुलपति, उप कुलपति एवं विभागध्यक्ष द्वारा भेद-भाव की नीति अपनाते हुए 46 शोधार्थियों में से 10 शोधार्थी को 2018 में Ph.D. आवार्ड से सम्मानित किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार शेष शोधार्थियों को Ph.D. आवार्ड से सम्मानित करने का कब तक विचार रखती है ?

पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

*** 90. श्री तनवीर अख्तर :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्तमान जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी.पी.एम) मध्याह्न भोजन योजना, जिला पटना का कार्य तत्कालीन निदेशक, म.भो.यो. के द्वारा संतोषप्रद नहीं पाते हुए अनेकों बार चेतावनी के बाद अन्ततः दिनांक 30.05.2014 को इन्हें चयन मुक्त करने का आदेश दिया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त चयन मुक्त के आदेश एवं बाद में दिनांक – 03.05.2017 को तत्कालीन निदेशक, म.भो.यो. एवं दिनांक 25.05.2017 को तत्कालीन सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा निदेशालय, म.भो.यो. की संचिका सं.-म.भो.को.-80/2013 में डी.पी.एम., पटना के विरुद्ध की गयी कार्रवाई की अनुशंसा के बावजूद संबंधित डी.पी.एम. पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तथा इनके द्वारा बिना अवधि विस्तार के विगत 18 माह से कार्यालय के कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिना अवधि विस्तार हुए कार्यरत डी.पी.एम., पटना को चयन मुक्त करने तथा इससे संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रस्वीकृति का विचार

*** 91. डा. राम वचन राय :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2) गांधी आश्रम, भीतिहरवा, श्री रामपुर, पश्चिम चम्पारण में संचालित है तथा सभी मानकों को पूरा करता है;

(ख) क्या यह सही है कि 02 अक्तूबर, 1986 ई. को ग्रामीणों के अथक प्रयास से विद्यालय की स्थापना की गयी और वर्ष 1988 ई. में 2 एकड़ 73 डी. भूमि ग्रामीणों ने दान में देकर महामहिम राज्यपाल, बिहार के नाम से निबंधित कर दिया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की प्रस्वीकृति नहीं मिलने के कारण छात्राओं को दूसरे विद्यालय से फार्म भर कर परीक्षा देनी पड़ती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप सारी प्रक्रिया पूरी करने वाले कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2) को प्रस्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

बकाया तथा नियमित वेतन

*** 92. श्रीमती मनोरमा देवी :** क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय विद्यालयों के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली एवं एन.सी.टी.ई. भुवनेश्वर के पत्रांक-12905, दिनांक 23.08.2010 के आधार आर.टी.ई. एक्ट 2009 के प्रावधान, अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं है तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की अनिवार्यता को शिथिल किया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आशय के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के ज्ञापांक-8044, दिनांक 25.10.2018 द्वारा निर्गत आदेश पर दयानन्द प्लस टू विद्यालय की शिक्षिका प्रियंका पाण्डेय एवं शिक्षिका रूपराधा को कार्यरत अवधि का बकाया सहित नियमित वेतन भुगतान दिया जा रहा है, लेकिन उसी विद्यालय के प्लस टू की शिक्षिका रेखा रानी एवं प्लस टू के शिक्षक अभिषेक कुमार सिंह को वेतन देने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित शिक्षिकाओं की भांति शिक्षिका रेखा रानी एवं शिक्षक अभिषेक कुमार सिंह का भी कार्यावधि का बकाया वेतन तथा नियमित वेतन देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

विनोद कुमार
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 15 फरवरी, 2019 ई.